

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)




कार्यवाही विवरण

विद्यापरिषद् की 15 वीं बैठक  
दिनांक 25/02/2015, दिन बुधवार  
समय : 12:00 बजे दोपहर  
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

## विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 15 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 15 वीं स्थगित बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 25/02/2015 को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष  
कुलपति  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
2. **प्रो. एस. के. जाधव** – सदस्य  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर  
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा नामांकित)
3. **डॉ. मनीष श्रीवास्तव** – सदस्य  
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी)  
गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)  
(कुलपति के द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)
4. **डॉ. सुरेश शुक्ला** – सदस्य  
प्राध्यापक (इतिहास विभाग)  
शास. महाविद्यालय कोटा  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)  
(कुलपति के द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)
5. **डॉ. अमित खासकलम** – सदस्य  
व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष (सूचना प्रौद्योगिकी)  
गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)  
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा नामांकित)
6. **डॉ. रविन्द्र शर्मा** – सचिव  
कुलसचिव  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

  
25/2/15

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. डॉ. श्रीमती विभा जोशी – सदस्य  
निदेशक  
स्कूल ऑफ एजुकेशन  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,  
नई दिल्ली
2. डॉ. टी. एल वर्मा – सदस्य  
विभागाध्यक्ष (भूगोल विभाग)  
शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
3. डॉ. उमेश कुमार श्रीवास्तव – सदस्य  
परीक्षा नियंत्रक  
बिलासपुर विश्वविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)
4. श्री रमेश नैयर – सदस्य  
संचालक  
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी  
रायपुर (छ.ग.)
5. आयुक्त – सदस्य  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
रायपुर (छ.ग.)

बैठक प्रारंभ होने पर सभी सदस्यों के द्वारा नवनियुक्त कुलपति डॉ. बंश गोपाल सिंह एवं कुलसचिव डॉ. रविन्द्र शर्मा का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् कुलसचिव द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये –

**प्रस्ताव क्रं 1** विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 14 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन।

**निर्णय –** विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 14 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

**प्रस्ताव क्रं. 2** प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 29 ( Revaluation/ Re totalling of the answer books ) के अनुमोदन पर विचार।

**निर्णय –** प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में पुर्नमूल्यांकन एवं पुर्नगणना का प्रावधान नहीं है, इससे छात्रों के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में त्रुटि होने पर कोई समाधान नहीं होता है। सदस्यों ने एक राय से यह स्वीकार किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक छात्र के पास अपील का अधिकार होना चाहिये।

कुलपति जी ने चर्चा के दौरान कहा कि उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में छात्रों की मुख्यतया: दो समस्यायें होती हैं –

1. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण होना।
2. उत्तरपुस्तिका में प्राप्तांकों के योग में त्रुटि या उत्तरपुस्तिका में किसी प्रश्न में अंक देने के बाद योग में छूट हो जाने के कारण मूल्यांकनकर्त्ता से मानवीय त्रुटि हो जाती है।


चर्चा उपरांत प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 29 में सभी सदस्यों के सहमति से संशोधित प्रारूप स्वीकर किया गया।

**प्रस्ताव क्रं. 3** पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के Convocation संबंधी अतिरिक्त परिनियम क्रमांक 01 को आवश्यक संशोधन सहित इस विश्वविद्यालय के लिये अध्यादेश के रूप में अंगीकृत किये जाने पर विचार।

**निर्णय –** चर्चा अनुसार संशोधित कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।


**प्रस्ताव क्रं. 4** शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रस्तावित चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के मनोनयन हेतु पदवार/विषयवार तीन-तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने पर विचार।


**निर्णय –** चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि सम्मानीय सदस्य किसी विषय में विषय-विशेषज्ञों के नाम उपलब्ध कराना चाहते हैं तो कुलपति जी को प्रस्तुत कर सकते हैं। सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से माननीय कुलपति जी

  
25/11/15

को पदवार/विषयवार तीन-तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम माननीय कुलाधिपति के मनोनयन हेतु प्रेषित करने हेतु अधिकृत किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष की प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

  
(डॉ. रविन्द्र शर्मा)  
कुलसचिव / सचिव

  
(डॉ. बंश गोपाल सिंह)  
कुलपति / अध्यक्ष

PANDIT SUNDARLAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY CHHATTISGARH

Ordinance No. 29

Re totaling & Re-assessment of the answer books

(Under Section 27 (1) of the Chhattisgarh Act No. 26/2004)

A. **Re totaling of Marks/Answer books:**

(1) A candidate, who has appeared in Term End (Annual) or ATKT examination at under graduate (BA, B.Sc., B.Com, BCA, B.Lib & I.Sc.) or Post Graduate (MA, Msc, M.Com, M.Ed., PGDCA, MCA, M.sc. IT.), Diploma or Certificate programme and whose result has been declared and is not satisfied with his marks may apply for re-totalling to the Registrar/Examination Controller in the prescribed form within 30 days from the date of the declaration of result along with photocopy of marksheet or downloaded Net copy of the result.

The answer books of all the candidates shall be sent to Valuer/ Examiner for retotalling of marks to other than the original examiner/ valuer. Examiner/valuer shall receive a remuneration of per answer book reviewed as prescribed by the University from time to time.

Provided also that, no re totaling of marks may be allowed in case of Script of Practical, Field work, Assignment, Internal Assessment, Internal Test, Tutorials and Project work and dissertation in lieu of the paper at the examination.

Provided also that a candidate who has appeared at Term End Examination/ATKT examination at Under Graduate] Post Graduate, Diploma & Certificates programmes shall be eligible to apply for re-totalling of marks in one paper, two papers of a subject or all the papers/subject.

(2) Provided also that if after re-totalling of marks of a answer book, there is a change in the original marks given by the original examiner, the revised marks shall be awarded to the candidate for the revision of his/her result.

B. **Reassessment of Answer books:**

(1) A candidate, who has appeared in the Term End (Annual) or ATKT examination and whose result has been declared and is not satisfied with the valuation may apply to the Registrar/Examination Controller in the prescribed form within one month from the date of the declaration of the result for the photocopy of the answer book(s) maximum of two answer book.

2. A candidate, who has received the photocopy of the answer book(s) whether under graduate or post graduate level, he/she may seek the opinion of one subject experts.

The subject expert may review the answer book(s) and if the marks awarded by the subject experts are more than 10% of maximum marks from the marks awarded by the original valuer, the candidate may apply to the Registrar/Examination Controller for re-assessment of his/her answer books within 30 days from the date of dispatch of the photocopy of answer books.

Provided also that no re-assessment may be allowed in case of scripts of practical, field-work, assignment work, internal assessment, internal tests, tutorials & project work and dissertation submitted in lieu of the paper at the examination.

Provided also that a candidate who has appeared in Term End (Annual or ATKT) examination at undergraduate level (BA, B.Sc., B.Com. BCA, B.Lib., MA. M.Sc., PGDCA & B.Ed.) shall not be eligible to apply for re-assessment of the answer book in more than two papers of one/two subject.

3. Where a candidate applies for Re-assessment of his/her answerbook, in which re-assessment is sought, will be sent for valuation by the Kulpati to three subject experts other than the original examiner.

4. If the marks awarded in the paper by any of the three experts is higher than from the marks given by the original examiner by more than 10% of maximum marks in the paper, the average of the award by the three examiners shall be awarded to the candidate for the revision of his/her result. The University will not accept any challenge against the opinion

## **Fee Structure for Re-totalling /Re-assessment of Answerbook**

### **A. Re totalling of Marks/Answer books:**

- |       |                                    |            |
|-------|------------------------------------|------------|
| (1)   | Cost of application form           | Rs. 50-00  |
| (2)   | Re-totalling Fee                   |            |
| (2.1) | One answer book                    | Rs. 100-00 |
| (2.2) | All papers/all subject-Answer book |            |
| (a)   | Under graduate classes/programmes  | Rs. 700-00 |
| (b)   | Post Graduate classes/programmes   | Rs. 500-00 |

### **B. Re-assessment of Answer books:**

- |     |                                   |                                 |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) | Fee for photocopy of answer book  | Rs. 200-00<br>(per answer book) |
| (2) | Cost of application form          | Rs. 50-00                       |
| (3) | Re-assessment Fee per answer book | Rs. 600-00                      |

## **Rate of Remuneration for Re totalling /Re-assessment of Answerbook**

### **A. Re totalling of Marks/Answer books:**

- (1) Rs. 20 per Answer book.
- (2) With a minimum of Rs. 100-00 per subject /paper/code of answerbook.

### **B. Re-assessment of Answer books:**

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| (1) | Per answer book  | Rs. 50-00 |
| (2) | With a minimum of Rs. 100-00 per subject /paper/code of answerbook |           |



पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति हेतु आवेदन-पत्र  
Application form for Photo Copy of Answer books

प्रति,

कुलसचिव,  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

महोदय,

निवेदन है कि मैं इस विश्वविद्यालय की कक्षा/पाठ्यक्रम ..... की सत्रांत परीक्षा वर्ष .....में सम्मिलित हुआ/हुई थी। मेरा परीक्षा परिणाम दिनांक ..... को घोषित हो चुका है।

मैं अपने घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं हूँ अतः निम्न अनुसार विषय/प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ।  
इस हेतु निर्धारित शुल्क रु. .... का बैंक का नाम ..... क्रमांक ..... दिनांक .....  
कुलसचिव, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पक्ष में बिलासपुर में देय हो, संलग्न कर प्रस्तुत है।

1. आवेदक का नाम

2. पिता/पति का नाम

3. परीक्षा केन्द्र का नाम

छायाप्रति हेतु विषय एवं प्रश्न पत्र का विवरण -

क्र.	कक्षा/पाठ्यक्रम	अनुक्रमांक	विषय	प्रश्नपत्र
1.				
2.				

टीप:- उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति रु. 200/- प्रति उत्तरपुस्तिका के मान से शुल्क जमा करने पर अधिकतम दो उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्रदान की जाएगी।

शुल्क विवरण:-

1. आवेदन शुल्क रु. - 50/-  
2. छायाप्रति प्रति प्रश्नपत्र रु. - 200/-

आवेदक के हस्ताक्षर  
पत्र व्यवहार का पता मो.नं. सहित

संलग्न- 1. अंकसूची की छायाप्रति।

2. नेट से प्राप्त परिणाम की प्रति।

3. बैंक ड्राफ्ट उपरोक्तानुसार

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

उत्तरपुस्तिका पुर्नगणना हेतु आवेदन -पत्र  
Application form for Retotalling of Answer books / Marks

प्रति,

कुलसचिव,  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

महोदय,

निवेदन है कि मैं इस विश्वविद्यालय की कक्षा/पाठ्यक्रम ..... की सत्रांत परीक्षा वर्ष .....में सम्मिलित हुआ/हुई थी। मेरा परीक्षा परिणाम दिनांक ..... को घोषित हो चुका है।

मैं अपने घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं हूँ अतः निम्न अनुसार विषय/प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिका का पुर्नगणना करना चाहता/चाहती हूँ।

इस हेतु निर्धारित शुल्क आवेदन शुल्क रु. .... तथा पुर्नगणना शुल्क रु. .... योग रु. .... का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पक्ष में बिलासपुर में देय क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न कर प्रस्तुत है।

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम .....

पुर्नगणना हेतु विषय एवं प्रश्न पत्र का विवरण -

क्र.	कक्षा/पाठ्यक्रम	अनुक्रमांक	विषय	प्रश्नपत्र

शुल्क विवरण:-

1. आवेदन शुल्क रु. - 50/-
2. पुर्नगणना Retotalling एक प्रश्नपत्र रु. - 100/-
  1. स्नातक - सभी प्रश्नपत्र - 700/-
  2. स्नातकोत्तर सभी प्रश्नपत्र - 500/-

आवेदक के हस्ताक्षर  
पत्र व्यवहार का पता मो.नं. सहित  
.....  
.....

संलग्न- 1. अंकसूची की छायाप्रति।

2. नेट से प्राप्त परिणाम की प्रति।

3. बैंक का नाम ..... ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक ..

..... रु. ....

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

## Application form for Reassessment of Answer books / Marks

प्रति,

कुलसचिव,  
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

महोदय,

निवेदन है कि मैं इस विश्वविद्यालय की कक्षा/पाठ्यक्रम ..... की सत्रांत परीक्षा वर्ष .....में सम्मिलित हुआ/हुई थी। मेरा परीक्षा परिणाम दिनांक ..... को घोषित हो चुका है।

मैं अपने घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं हूँ अतः निम्न अनुसार विषय/प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिका का पुनःअवलोकन करना चाहता/चाहती हूँ।

इस हेतु निर्धारित शुल्क आवेदन शुल्क रु. .... तथा पुनःअवलोकन शुल्क रु. .... योग रु. .... का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पक्ष में बिलासपुर में देय क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न कर प्रस्तुत है।

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम .....

पुनःअवलोकन हेतु विषय एवं प्रश्न पत्र का विवरण -

क्र.	कक्षा/पाठ्यक्रम	अनुक्रमांक	विषय	प्रश्नपत्र

शुल्क विवरण:-

1. आवेदन शुल्क रु. - 50/-
2. Reassessment प्रति प्रश्नपत्र रु. - 600/-  
(अधिकतम दो उत्तर पुस्तिकाये)

आवेदक के हस्ताक्षर  
पत्र व्यवहार का पता मो.नं. सहित  
.....  
.....

- संलग्न- 1. अंकसूची की छायाप्रति।  
2. नेट से प्राप्त परिणाम की प्रति।  
3. बैंक का नाम .....ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक ..... रु. ....